नम्बर व ता...
अहकाम जो...
हुक्म की तामील...
मं. जारी हुए

कार्यालय तहसीलदार बेगूँ जिला चित्तौडगढ

क्रमांक / राजस्व / 2024 / दिनांक :

प्रकरण संख्या 709/24 निर्णय दिनांक 12/3/24

सरकार जरिये बनाम श्री डूंगरलाल पिता कजोड़ा रेबारी

पटवार हल्का सुवानिया निवासी- भाण्डला

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट, 1956

निर्णय

अतिक्रमी श्री डूंगरलाल पिता कजोड़ा जाति रेबारी निवासी .... तहसील बेगूँ ने ग्राम भाण्डला के आराजी संख्या 66 मी. रकबा 0.16 किस्म आ. चरा. भूमि पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया है। इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91 (3) एल.आर. एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतिक्रमी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षेत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नही पाया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य के अनुसार चारागाह भूमि पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 सिविल अपील संख्या 1132 / 2011 व एस.एल.(सी.) नम्बर 3109 / 2011 आवंटन / नियमन नही की जा सकती है।

अतः अतिक्रमी ग्राम भाण्डला में स्थित आराजी संख्या 66 मी. रकबा 0.16 किस्म आ. चरा. भूमि से बेदखल का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 1.00 का 50 गुणा राशि 50/- रूपये आरोपित किये जाते है, जो वसूल हो। निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.27 19:07:43 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार
तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ
बेगूँ